शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश

1983-84 की आख्या

शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश
(भारत)
1983

शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

उत्तर प्रदेश की

1983–84 की आख्या

NIEPA DC
D01238

शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश
(भारत)
1983

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No.....1238.....
Date.....10.11.84

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की नीति एवं सुझाव के अनुसार 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना का प्रारम्भ किया।

2—इस परिषद् का गठन निम्नवत् है :—

(1)	शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष
(2)	शिक्षा सचिव	उपाध्यक्ष
(3)	वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	शिक्षा निदेशक	सदस्य
(7)	श्री श्रीनिवास शर्मा, सेवा निवृत्त, शिक्षा निदेशक, सी–46, निराला नगर, लखनऊ ..	सदस्य
(8)	श्रीमती शान्ति तनखा, सेवा निवृत्त, प्रधानाचार्या, चाइना गेट (अमेरिकन लायब्रेरी के सामने), लखनऊ।	सदस्य
(9)	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश ..	सदस्य सचिव

3—परिषद् के अन्तर्गत इकाइयों द्वारा जो नये कार्य लिये गये वे राज्य में शिक्षा की वर्तमान समस्याओं या योजनाओं से संबंधित हैं, तथा राष्ट्र के महत्व की है जैसे शिक्षा के सार्वजनीकरण, दस वर्षीय पाठ्यक्रम, विज्ञान शिक्षा की समस्या, सामाजिक विज्ञान की नयी संकल्पना और उसकी शिक्षण विधि, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के गिरे हुये स्तर के सुधार की समस्या, जन-संख्या शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिये शिक्षा, नये दस वर्षीय पाठ्य-क्रम के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण में संशोधन, शिक्षा का व्यवसायीकरण के सन्दर्भ में छात्रों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शैक्षिक तकनीकी, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा आदि। इन पर आधारित उपयोगी प्रकाशनों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में इन सभी कृत कार्यों का संक्षिप्त विवरण है।

गुरु मौज प्रकाश,
निदेशक।

प्रथम अध्याय

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश 1983–84 के कार्य

भारत सरकार के सुझाव पर इस राज्य में सितम्बर, 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के गठन का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित इकाइयों/संस्थाओं के होते हुये भी व्यावहारिक दृष्टि से शोध, नवीन कार्य विधियां, पर्याप्त स्तर के सेवारत प्रशिक्षण, जो पाठ्यक्रम के पुनर्गठन तथा शिक्षा के प्रबन्ध से संबंधित हों, इस राज्य में नहीं हो पाये थे :—

(1) राज्य अध्यापन विज्ञान संस्थान।
(2) मनोविज्ञानशाला ।
(3) राज्य शिक्षा संस्थान ।
(4) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ।
(5) अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान ।
(6) राज्य हिन्दी संस्थान ।
(7) शिक्षा प्रसार विभाग ।
(8) पाठ्य पुस्तक कार्यालय ।
(9) शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ ।

इनके अतिरिक्त राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय में शोध का विभाग है। यह अनुभव किया गया कि इस असंतोषजनक स्थिति का कारण यह है कि उपर्युक्त संस्थायें ऐसे शक्तिशाली शैक्षिक नेतृत्व के अभाव में, जो क्षेत्रीय कार्य से संबंधित हों, ठीक तरह से काम नहीं कर पायी। शिक्षा निदेशक प्रतिदिन के नैत्यिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। इन संस्थाओं के कार्यकलाप का मार्ग-दर्शन नहीं कर सकते और न वह ध्यान दे सके, जो ऐसी संस्थाओं से वांछित कार्य के लिये चाहिये। इसके अतिरिक्त "इनसेट" की सहायता से शैक्षिक तकनीकी में कार्यक्रमों की प्रारम्भिक समस्याओं को सुलझाने के लियें कोई उपयुक्त संगठन न था, यद्यपि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1984 में ही उपलब्ध हो जाने की आशा है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से 1974 में ही अनुरोध किया था कि वे तत्काल इस विषय में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से कार्यवाही करें। और भी कई चालू कार्यक्रम थे, जिनमें से कई यूनिसेफ की सहायता से है, जिन्हें दक्ष शैक्षिक निदेशन तथा समन्वय की आवश्यकता थी। अतः इन कमियों को दूर करने के लिये सितम्बर, 1981 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया जाय जिससे लाभप्रद और व्यावहारिक शोध, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापक–प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण आयोजित किये जा सके।

कार्य क्षेत्र—

2—राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्य में निम्नलिखित की संकल्पना की गई थी :—

(क) शिक्षा में स्वयं अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वय करना तथा उनको प्रोत्साहित करना।

(ख) सेवा-पूर्व और सेवारत, मुख्यतः उच्च स्तरीय, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(ग) ऐसी संस्थाओं को परामर्श सेवा प्रदान करना जो शैक्षिक अनुसंधान/प्रशिक्षण में विद्यालयों के विस्तार सेवा में कार्यरत हो।

(घ) उन्नत शैक्षिक विधियों और कार्यक्रमों से विद्यालयों तथा प्रशासकों को अवगत कराना ।

(च) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ कार्य करना अथवा उन्हें सहायता देना।

(छ) विद्यालय स्तरीय शिक्षा संबंधी उन्नत विचारों तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण और प्रसारण ।

(ज) राज्य प्रशासन को तथा अन्य संगठनों को विद्यालय स्तरीय शिक्षा के स्तरोन्नयन के संबंध में परामर्श देना।

(झ) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक पुस्तकों, सामग्री, पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य का निर्माण तथा या प्रकाशन।

(ट) ऐसे सभी कृत्यों का करना, जो परिषद् अपने प्रमुख उद्देश्यों के लिये आवश्यक, अनिवार्य या लाभप्रद समझे, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शैक्षिक कार्यकर्ताओं का उच्च स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण और विद्यालयों में विस्तार सेवा की सुविधा देना है।

(ठ) राज्य सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्य सम्पादित करना।

इन उद्देश्यों के संबंध में स्पष्ट करना समीचीन होगा कि शैक्षिक अनुसंधान, नीति-निर्धारण, स्कूलों में अध्यापन तथा शैक्षिक प्रशासन और नियोजन में गुणता, उन्नति और सुधार के उपायों से संबंधित होंगे। मूल अनुसंधान विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या अन्य संस्थाओं को सहयोग देने और सहकारिता के आधार पर सम्बद्ध होने तक सीमित रह जायेगा। अनुसंधानों में कार्यरत शोध (एक्शन रिसर्च) को भी प्रमुखता दी जायेगी, जिसमें कार्यरत अध्यापकों और विद्यालयों को भी उन्नत विधियां विकसित करने में प्रोत्साहन मिले। प्रशिक्षण के क्षेत्र में मुख्यतः सेवारत प्रशिक्षण के कार्यक्रम लिये जायेंगे जिनमें अध्यापकों के अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासकों तथा नियोजकों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित होगा।

प्रस्तावित संगठन——

3——इस परिषद् के अन्तर्गत संस्थाओं को संविलीन करके पुनर्गठित करने का निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है :——

वर्तमान संस्थान	परिषद् के प्रस्तावित पुनर्गठित विभाग
1	2
1——राज्य शिक्षा संस्थान	.. प्रारम्भिक विभाग 1——प्रारम्भिक शिक्षा 2——बी० टी० सी० पत्राचार इकाई 3——यूनीसेफ परियोजना कोष्ठ 4——जनसंख्या शिक्षा कोष्ठ 5——अनौपचारिक शिक्षा इकाई 6——उर्दू कोष्ठ कार्यकारी दल—— 1——बालिकाओं की शिक्षा 2——निर्बल वर्ग की शिक्षा 3——जनजाति की शिक्षा
2——राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	.. विज्ञान विभाग
3——राज्य केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान	.. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग कोष्ठ—— 1——राष्ट्रीय एकीकरण कोष्ठ 2——मानवीय मूल्यों की शिक्षा 3——अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा प्रशासन एवं नियोजन विभाग पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग दल—— 1——प्रतिभावान बालकों की शिक्षा 2——विकलांगों की शिक्षा
4——अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान 5——राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी	.. भाषा विभाग 1——अंग्रेजी शाखा 2——हिन्दी शाखा
6——शिक्षा प्रसार विभाग	.. दृश्य श्रव्य शिक्षा विभाग 1——फिल्म पुस्तकालय 2——दृश्य–श्रव्य प्रशिक्षण केन्द्र
7——पाठ्य-पुस्तक अनुभाग, (लखनऊ)	.. पाठ्य–पुस्तक विभाग
8——शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ (लखनऊ)	.. शैक्षिक तकनीकी विभाग (निकटतम भविष्य में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान)
9——मनोविज्ञान शाला	.. मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निर्देशन विभाग

4——शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्यायें हैं उनके निदान के लियेनये प्रयोगात्मक कार्यक्रमों और व्यवहारिक तथा उपयोगी, शोधों, प्रयोगों, सर्वेक्षणों, अध्ययनों और अनुसंधानों की आवश्यकता है। इनके अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि जो नये अनुसंधान संस्थानों या एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा पूर्व में किये गये हैं उनके निष्कर्षों की जानकारी अध्यापकों और प्रशासकों को कराई जाये। शिक्षा के वे विषय जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जिनकी समस्याओं के विषय में कार्य तत्काल किया जाना है वे शिक्षा के सार्वजनीकरण, दस वर्षीय पाठ्यक्रम, विज्ञान शिक्षा की

समस्या, सामाजिक विज्ञान की नयी संकल्पना और उसकी शिक्षण विधि, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के गिरते हुए स्तर के सुधार की समस्या, जनसंख्या शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिये मानवीय मूल्य की शिक्षा, नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण में संशोधन, शिक्षा के व्यवसायीकरण के संदर्भ में छात्रों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक निर्देशन आदि है। इसमें से प्रत्येक पर प्रयोगात्मक कार्यक्रम, व्यवहारिक शोध और उपयुक्त प्रकाशन, अध्यापकों और प्रशासकों के मार्गदर्शन और उनमें विशेषज्ञता की वृद्धि के लिये और गुणात्मक सुधार के उन कार्यक्रमों की शीर्षकवार सूची दी जा रही है, जो 1982-83 में प्रारम्भ किये गये:—

अ—प्रारम्भिक स्तर के अनुसन्धान/अध्ययन —

शिक्षा के सार्वजनीकरण से सम्बन्धित अनुसंधान (राज्य शिक्षा संस्थान)—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के विद्यालयों में प्रवेश न लेने और पढ़ाई छोड़ने के कारणों का अध्ययन तथा समाधान के उपायों का प्रभाव।

(2) अनौपचारिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के कार्यान्वयन की शैक्षिक समस्यायें तथा उनके निदान।

(3) प्राइमरी स्तर पर ह्रास और अवरोध का अध्ययन एवं अन्य अनुसंधान। पाठ्यक्रम विकास (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(4) दस वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम की कक्षा एक से आठ के लिये पुनर्रचना।

पाठ्य-पुस्तक—

(5) प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं के गणित के पाठ्य-क्रम एवं उसके शिक्षण में सुधार तथा राष्ट्रीयकृत गणित की पाठ्य-पुस्तकों में संशोधन हेतु विश्लेषण तथा सर्वेक्षण (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान)।

(6) राष्ट्रीय महत्व के विषयों की दृष्टि से कक्षा एक से आठ की पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण (पाठ्य-पुस्तक अनुभाग)।

(7) राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से कक्षा एक से आठ की भाषा की पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा। (पाठ्य पुस्तक अनुभाग)।

विज्ञान शिक्षा (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान)—

(8) नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम में कक्षा छः से आठ तक की विज्ञान की प्रभावी शिक्षा के लिये न्यूनतम उपकरण का प्रस्ताव।

(9) प्राइमरी स्तर पर वर्तनी (हिन्दी) की सामान्य अशुद्धियों का वर्गीकरण और सुधार के उपाय (राज्य हिन्दी संस्थान)।

(10) कक्षा 6 से 8 के छात्रों की अंग्रेजी वर्तनी की अशुद्धियों का विश्लेषण (अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान)
प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा (मनोविज्ञानशाला)—

(11) कक्षा आठ के प्रतिभावान छात्रों के चयन के परीक्षण तथा उनकी उच्चतर शिक्षा में परीक्षाफल के सह संबंध का अध्ययन तथा चयन परीक्षण की उपयोगिता का अध्ययन।

(12) वय-वर्ग 5 से 11 के बच्चों के लिये मूर्तवृद्धि-परीक्षण का नियम

ब—माध्यमिक स्तर के अनुसंधान/अध्ययन—

विज्ञान (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान)

(1) इण्टरमीडिएट भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान की न्यूनतम उपकरण/सामग्री की प्रस्तावित सूची का विकास।

(2) हाई स्कूल के विज्ञान–1 की पाठ्य-पुस्तकों की रचना के आधार भूत सिद्धान्त का विकास।

(3) सामाजिक विज्ञान की संकल्पना और शिक्षण विधि (दस वर्षीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में)।

हिन्दी भाषा की शिक्षा (हिन्दी भाषा शिक्षण संस्थान)—

(1) संस्कृत–साहित्य का संदर्भ–संकलन, जो हिन्दी के साथ संस्कृत की शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो।

(2) माध्यमिक स्तरों पर वर्तनी की अशुद्धियों का संकलन, वर्गीकरण तथा उसके सुधार के उपाय।

(3) हिन्दी शब्दों के उच्चारण की अशुद्धियों के निराकरण के लिये निर्देश पुस्तक, कैसेट और फिल्म स्ट्रिप का निर्माण।

अंग्रेजी भाषा की शिक्षा (अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान)—

(1) अंग्रेजी भाषा के उच्चारण की त्रुटियों के विश्लेषण और उनके उपचार के लिये पुस्तक टेप तथा फिल्म स्लिप्ट का निर्माण।

(2) अंग्रेजी भाषा के अध्यापन में व्याकरण के संदर्भ में अध्यापकों के लिये व्यवहारिक सुझाव।

(3) छात्रों के लिये उपयोगी अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण संदर्भों का संकलन।

प्रतिभावान छात्र (मनोविज्ञानशाला)---

प्रतिभावान छात्रों की आवासीय शिक्षा की योजना का कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन (उपयोगिता तथा उपलब्धियां मूल्यांकन एवं परीक्षा-सुधार) ।

(केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान)---

आन्तरिक मूल्यांकन की विधियों पर अध्यापकों की निर्देश-पुस्तिका, छात्रों की व्यवसाय संबंधी प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन (निम्नलिखित बिन्दुओं पर)---

(1) व्यवसायि क रुचि तथा व्यवसाय संबंधी ज्ञान अपनी क्षमता और व्यवसाय की उपलब्धता पर आधारित है ।

(2) पैतृक या कौटुम्बिक व्यवसाय के लिये रुचि की क्या स्थिति है और कारण क्या है ।

(3) अपना स्वयं का व्यवसाय (सेल्फ एमप्लायमेन्ट) के प्रति क्या धारणा और कहां तक रुचि है ।

इस अध्ययन के आधार पर परामर्श कार्य को विकसित किया जायगा मनोविज्ञान शाला) ।

स---अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन/अनुसंधान---

(1) अध्यापकों में वांछित गुणों की धारणा, छात्रों, अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों के दृष्टिकोण से ।

(2) एल0टी0 पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की उपलब्धियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

(3) नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये एल0टी0 पाठ्यक्रम का संशोधन ।

(4) प्रशिक्षणरत शिक्षकों में शैक्षिक स्तरोन्नयन के प्रयासों के ज्ञान का अध्ययन ।

(5) अध्यापन व्यवसाय के लिये उपयुक्तता के लिये मनोवैज्ञानिक पूर्व परीक्षण के निर्माण की रूपरेखा ।

ड---मनोविज्ञान एवं शैक्षिक व्यवसायिक परामर्श सम्बन्धी अध्ययन/अनुसंधान---

शैक्षिक निर्देशन के मनोवैज्ञानिक उपकरणों का परिष्करण तथा मानकीकरण---

(1) स्टैनफर्ड-बिने बुद्धि परीक्षा के मानको का स्थापन ।

(2) 5-12 वर्ष तक के बालकों के मूर्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण ।

(3) "रोशा" परीक्षण के भारतीय परिवेश में विश्लेषण एवं मानकीकरण मुख्य व्यक्तित्व के सूचकों के संदर्भ में ।

(4) बच्चों के व्यक्तित्व परीक्षण (सी0ए0टी0) का मानकीकरण ।

(5) खेलों पर आधारित 2 1/2 से 5 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व के परीक्षण का मानकीकरण ।

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् की विभिन्न इकाइयों द्वारा, उपलब्ध वित्तीय सीमा में प्रकाशन हो मुद्रित कराये जा सके । अन्य प्रकाशन योग्य सामग्री चक्रमुद्रित कराई गई तथा केवल टंकित रूप में है । प्रकाशन योग्य सामग्री में से अधिकांश को अध्यापकों तथा अन्य सम्बन्धित शैक्षिक कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त संख्या में शीघ्र मुद्रित कराया जायगा । इनकी सूची निम्नवत् है:---

(1) "नवज्योति" पत्रिका का "प्रौढ़ शिक्षा"---विशेषांक (अक्टूबर, 1982) ।

(2) "नवज्योति" पत्रिका का "शिक्षा का सार्वजनीकरण" विशेषांक (नवम्बर, 1982) ।

(3) "नवज्योति" पत्रिका का "बीस सूत्रीय कार्यक्रम" अंक (दिसम्बर, 1982) ।

(4) "नवज्योति" पत्रिका का 'पर्यावरण तथा सामाजिक वानिकी तथा जनसंख्या" अंक (जनवरी, 1983) उक्त चारों प्रकाशन निकल चुके हैं ।

(5) "वाणी" पत्रिका का-राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी विशेषांक (जनवरी, 1983) ।

(6) "वाणी" पत्रिका का क्षेत्रीय बोलियां विशेषांक (मार्च, 1983) । यह विशेषांक निकल चुका है ।

(7) से (11) राज्य शिक्षा संस्थान इकाई से निम्नलिखित प्रकाशन---

---जनसंख्या शिक्षा-परिचायिका (प्रकाशित की जा रही है) ।

---"अध्यापक और जनसंख्या शिक्षा"---निर्देशिका ।

---जनसंख्या शिक्षा दिग्दर्शिका ।

---"जनसंख्या शिक्षा" की परिचयात्मक पुस्तिका (प्रकाशित) ।

---प्राइमरी स्तर पर ह्रास और अवरोध (1982-83 विश्लेषण और गहन-अध्ययन) पांडुलिपि तैयार है ।

(12) से (16) राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान से निम्नलिखित प्रकाशन—

—शिक्षा में आन्तरिक मूल्यांकन ।

—एल0 टी0 पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की उपलब्धियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

—प्रशिक्षणरत शिक्षकों में शैक्षिक स्तरोन्नयन के प्रयासों के ज्ञान का अध्ययन ।

—अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये शिक्षा (प्रथम भाग) ।

—प्रतिभावान बालकों की शिक्षा ।

(17) से (18) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में स्रोत सामग्री संदर्भ पुस्तिकायें (हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा शिक्षण-संस्थान) ।

हिन्दी की कुछ सामग्री प्रकाशित हो गई है । अन्य का संकलन हो रहा है ।

(19) शैक्षिक तकनीकी परिचयात्मक पुस्तिका (शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ) ।

(20) शैक्षिक तकनीकी के उपयोग का व्यवहारिक रूप (शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ) ।

(21) उपयोगी मनोवैज्ञानिक परीक्षण (मनोविज्ञानशाला) ।

(22) दस वर्षीय नये पाठ्यक्रम के लिये भौतिक सुविधायें (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान) ।

द्वितीय अध्याय

प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में प्रमुखतः पुनर्शिक्षण (सेवारत) के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, और भविष्य में लिये जायेंगे जिनका राज्य के स्कूल-स्तर की शैक्षिक समस्याओं, और शिक्षा विकास तथा स्तरोन्नयन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। प्रशिक्षण के अन्तर्गत कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:—

नये कार्यक्रम

(1) प्रचलित कार्यक्रमों के अतिरिक्त नया कार्यक्रम लिया जा रहा है। जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अन्य विद्यालयों के अध्यापकों को प्रक्षेप उपकरणों और कम व्यय के उपकरणों के व्यवहारिक उपाय तथा फिल्म-स्क्रिप्ट/स्लाइड बनाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) प्रोन्नति से नियुक्त होने वाले प्रत्येक प्रधानाचार्य को शैक्षिक प्रबन्ध तथा प्रशासन में दक्षता के लिये एक विशेष प्रशिक्षण भी कराने की योजना प्रारम्भ कर दी गई है।

(3) एन0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से अनुसंधान की विधियों और मूल्यांकनों की नई विधियों में अधिकारियों का प्रशिक्षण कराया गया।

(4) सामुदायिक गायन में संगीत अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया गया।

(5) गणित की नवीन शिक्षा का "कामेट" के अन्तर्गत प्रशिक्षण।

पूर्व सेवा प्रशिक्षण

क—राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

(1) एल0टी0 (सामान्य) (स्नातकोत्तर शिक्षक-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम)।

(2) उपचारात्मक शिक्षा—विशेषीकरण।

यह विशेष दक्षता-विषयक कार्यक्रम मात्र इस संस्थान में ही चलता है। इसमें एल0टी0 पाठ्यक्रम के सभी प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हैं।

ख—मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद

प्रशिक्षण	उद्देश्य	अवधि
निर्देशन मनोविज्ञान—डिप्लोमा	1—प्रशिक्षणार्थियों को बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों का व्यवहारिक ज्ञान कराना।	10 माह की अवधि
	2—निर्देशन और परामर्श की व्यवहारिक उपयोगिता से परिचित कराना तथा	अगस्त, 1983 से मई, 1984 तक
	3—आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों व सांख्यिकी का पूर्ण बोध कराना।	

सेवाकालीन प्रशिक्षण

क—शिक्षा प्रसार विभाग, इलाहाबाद

क्रम-संख्या	उद्देश्य	दिनांक तथा अवधि
1	श्रव्य दृश्य उपादान	दो सप्ताह

ख—राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

क्रम-संख्या	उद्देश्य	दिनांक तथा अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	1981-83 दो वर्ष	1240 प्राइमरी स्कूल—शिक्षक 2099 जूनियर हाईस्कूल—शिक्षक

ग—अनौपचारिक शिक्षा इकाई

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर कार्यरत अध्यापकों को वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है ।

घ—राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

(1) सतत् शिक्षा (माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लाभार्थ)—

यह अल्पकालिक प्रशिक्षण 10 से 12 दिनों के लिये विभिन्न चरणों में जुलाई, 1983 से मार्च, 1984 तक चला । इसमें प्रति बैच 20 से 25 शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है तथा गणित, विज्ञान और सामाजिक विषयों—इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में पुनर्बोधित किया जाता है ।

(2) पुनर्बोधात्मक शिक्षा (माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लाभार्थ) ।

उपयुक्त के समानान्तर ही यह कार्यक्रम संचालित होता है । इसमें जनवरी से मार्च, 1983 तक 65 अध्यापक प्रशिक्षित किये गये ।

ङ—मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद

क्रम-संख्या	उद्देश्य	दिनांक तथा अवधि
1	उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान तथा शिक्षा—शास्त्र के इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रवक्ताओं को शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों से अवगत कराना ।	तीन सप्ताह तक
2	उन्हें निर्देशन एवं परामर्श की व्यावहारिक क्रियाविधियों से परिचित कराना ।	

च—आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

क्रम-संख्या		उद्देश्य
1	आंग्ल भाषा प्रशिक्षण डिप्लोमा	(1) हाई स्कूल/इंटर कक्षाओं के रिसोर्स परसन तैयार करना तथा उनकी
		(2) अंग्रेजी शिक्षण क्षमता में वृद्धि
2	सतत् शिक्षा	(1) हाई स्कूल स्तरीय अंग्रेजी शिक्षकों का पुनर्बोधन तथा उनकी
		(2) अनुभूत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण
3	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	(1) हाई स्कूल स्तरीय अंग्रेजी शिक्षकों का पुनर्बोधन तथा उनकी
		(2) अनुभूत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण
4	अनुगमन गोष्ठी	(1) जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूल स्तर पर कक्षा शिक्षण की वास्तविक स्थिति की जानकारी
		(2) शिक्षकों की अनुभूत शैक्षणिक कठिनाइयों का निराकरण
		(3) अंग्रेजी तथा भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण अंश पर चर्चा
5	पुनर्बोधन/प्रशिक्षण क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से (बेसिक स्तर)	(1) जूनियर हाई स्कूल स्तर के शिक्षकों के सस्वर पठन के सुधार
		(2) लिखित कार्य में सुधार तथा उनकी
		(3) कठिनाइयों का निराकरण ।

तृतीय अध्याय

अनुसंधान, अध्ययन और परियोजनायें

शिक्षा में नीति परक अनुसंधान और वैज्ञानिक ढंग से किये गये अध्ययनों की आवश्यकता पर भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने बल देते हुए यह चिन्ता व्यक्त की थी कि इस देश में शैक्षिक अनुसंधान कम हुआ तथा किये गये अनुसंधान गुणता की दृष्टि से मध्यम या निम्नस्तर के थे और जो अनुसंधान किये भी गये थे उनके परिणामों का उपयोग शैक्षिक प्रशासकों द्वारा शिक्षा की नीतियों के निर्धारण में नहीं किया जा रहा था।

2––शैक्षिक अनुसन्धान आधारिक तथा नीति-परक और व्यवहारिक होते हैं। इस परिषद् के कार्यक्षेत्र में व्यवहार-परक और नीति परक अनुसंधान और अध्ययन है। अतः शिक्षा की विभिन्न योजनाओं, समस्याओं और कार्य-क्षमता की वृद्धि की आवश्यकता में सहायता करने के उद्देश्य से ही अनुसंधान और अध्ययन किये जा रहे हैं। इसकी सूची पूर्व पृष्ठों में दी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि शैक्षिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उपयोगी अनुसंधान तथा अध्ययन किये गये हैं।

3––अनुसंधानों को विधिवत् और वैज्ञानिक ढंग से किये जाने पर पूरा ध्यान दिया गया है। इस हेतु निदेशक ने प्रत्येक अध्ययन का विभिन्न इकाइयों के प्रधानों के साथ निर्देशन किया। निकट भविष्य में परिषद् की इकाइयों के अधिकारियों को अनुसंधान की वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित कराया जायगा जिससे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की दक्षता का स्तर संतोषजनक हो।

4––शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षण-विधि तथा राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कार्यक्रमों में नये दृष्टिकोण, लाने उनको प्रभावी बनाने और ठीक ढंग से संचालित करने के लिये शैक्षिक परियोजनायें चलायी जाती हैं। जनसंख्या शिक्षा परियोजना (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम की वित्तीय सहायता प्राप्त), तथा प्राइमरी शिक्षा, पूर्व प्राइमरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और सामुदायिक विकास में सहभागिता शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता (सभी यूनीसेफ की वित्तीय सहायता प्राप्त) भी विशेषकर चलायी जा रही है।

5––विभिन्न इकाइयों द्वारा वर्ष 1983–84 में सम्पादित किये जाने वाले अध्ययनों तथा परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् दिया जा रहा है:––

1––आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की स्थापना अंग्रेजी के शिक्षण में सुधार के लिये विदेशी सहायता से की गयी थी। इस संस्थान का कार्य पाठ्य सामग्री एवं पाठ्यक्रम की रचना करना तथा चार माह का डिप्लोमा प्रशिक्षण, अंग्रेजी बोलने में प्रवीणता का प्रशिक्षण एवं छः दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों का आयोजन करना है। वर्ष 1982–83 में अनेक उपयोगी परियोजनायें तथा शोध कार्य सम्पादित किये गये। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरन्तर चलाने के लिए छात्रावास संबंधी समस्या का हल करना अनिवार्य है।

2––किसी एक जनपद में जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाने वाले सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव इस दृष्टि से रखा गया है कि ऐसे व्यवहारिक कार्य-क्रम विकसित किये जा सकें जिनसे भविष्य में शिक्षकों को व्यापक रूप से लाभान्वित किया जा सके।

3––संस्थान द्वारा निम्नलिखित परियोजनायें/अध्ययन कार्य किये जा रहे हैं:––

(1) कक्षा 6 तथा 8 में लिखित कार्य में की गयी त्रुटियों का विश्लेषण तथा उपचार हेतु सुझाव।

(2) अंग्रेजी उच्चारण में सुधार हेतु टेप सामग्री का निर्माण।

(3) अंग्रेजी में भारतीय लेखकों की कृतियों का संकलन/भाग–2।

(4) हाई स्कूल स्तर पर अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में समावेश हेतु जनसंख्या शिक्षा संबंधी पठन सामग्री विकसित करना।

(5) सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी शिक्षकों की त्रुटियों का अध्ययन।

(6) राष्ट्रीय एकीकरण हेतु श्रोत पुस्तकों का निर्माण।

(7) जूनियर स्तर पर अंग्रेजी व्याकरण संबंधी ज्ञान में सुधार के लिये सुझाव (भाग–2)।

(8) जूनियर हाई स्कूल स्तर के छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटियों के विश्लेषण के आधार पर अंग्रेजी वर्तनी के शिक्षण हेतु परिष्कृत विधि।

4––अनुच्छेद 3 में क्रम-संख्या 1, 2, 6, 7 एवं 8 पर आधारित प्रकाशनों के अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि संस्थान द्वारा "अंग्रेजी शिक्षकों को प्राप्त सुविधायें" नामक एक संदर्शिका तथा विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण की नयी विधियों/शोध पर आधारित दो बुलेटिन प्रकाशित की जायगी।

2—राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान

यह संस्थान मुख्यतः नये पाठ्यक्रमों के निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन, तथा विज्ञान शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य सामग्रियों को तैयार करने, नवीन दस वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान अध्यापकों की दक्षता बढ़ाने हेतु सेवारत प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रदेश में विज्ञान शिक्षा के विकास हेतु नीति निर्धारण एवं उनके कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों-शोध, अध्ययन तथा व्यवहारिक उपयोगिता सम्बन्धी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है ।

2—प्रदेश में चल रहे सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रम इस संस्थान द्वारा प्रस्तावित हैं:—

(अ) परियोजनायें—

(1) एल0टी0 (स्नातक स्तरीय शिक्षण डिप्लोमा) स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु अध्यापकों द्वारा फिल्मों का उपयोग ।

(2) लखनऊ जनपद के जू0 हा0 स्कूलों के विज्ञान अध्यापकों का सघन सेवारत प्रशिक्षण ।

(3) इण्टर स्तरीय इलेक्ट्रानिक किट का निर्माण ।

(4) नये प्राइमरी विज्ञान किट हेतु संदर्शिका का निर्माण ।

(ब) शोध/अध्ययन

(1) प्राइमरी तथा जू0हा0 स्कूलों के विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में संशोधन/परिवर्धन हेतु मानकों की विकास ।

(2) पाठ्यक्रमीय उद्देश्यों के संदर्भ में जू0हा0 स्कूल स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का उनकी कमियों के निवारण हेतु विश्लेषण ।

(3) उद्देश्य निष्ठ प्राइमरी स्तरीय विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षण विधियां ।

(4) नवीन दस वर्षीय पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में कक्षा 1 से 8 तक के विज्ञान पाठ्यक्रम का नवीनीकरण ।

(5) इण्टर स्तरीय विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य में सुधार ।

(स) प्रकाशन

(अ) 1, 3 तथा 4 और (ब) 1, 3 तथा 5 की पुस्तिकाओं के अतिरिक्त एक त्रैमासिक पत्रिका "विज्ञान शिक्षा" का प्रकाशन प्रस्तावित है जिसके प्रथम संस्करण में प्राइमरी तथा जू0 हा0 स्कूल स्तरीय विज्ञान शिक्षण सम्बन्धी लेख होंगे ।

3—राज्य शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ

इनसैट 1—बी के क्रियाशील हो जाने के उपरान्त भारत सरकार ने 6 प्रदेशों में इस सुविधा का उपयोग शिक्षा के गुणात्मक सधार एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से इन प्रदेशों में स्थिति शैक्षिक तकनीकी कोष्ठों को शैक्षित तकनीकी संस्थान के रूप में विकसित करने का निश्चय किया है । शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना निश्चित किया है । इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

1—शैक्षिक टेलीविजन फिल्मों का उत्पादन ।

2—शैक्षिक टेलीविजन फिल्म निर्माण केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य ।

3—शैक्षिक टेलीविजन पाठों का समुचित मात्रा में लिखा जाना ।

4—शैक्षिक रेडियो टेप का निर्माण ।

5—टेलीविजन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्यांकन, उनका नियोजन तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का टलीविजन के माध्यम से निर्धारण ।

2—इस शैक्षिक टेलीविजन कार्य के अतिरिक्त, शैक्षिक तकनीकी संस्थान का शिक्षा के स्तर सें उन्नयन एवं प्रभावी बनाने की दिशा में निम्नलिखित शैक्षिक शोधों का कार्य करना:—

(अ) शैक्षिक कार्यक्रमों का गुणात्मक मूल्यांकन ।

(ब) शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के उपयोग का मूल्यांकन ।

(स) टेलीविजनों के रख-रखाव के तंत्र की प्रभाविकता का मूल्यांकन ।

3—इसके अतिरिक्त शैक्षिक तकनीकी संस्थान शैक्षिक तकनीकी विधा पर छोटी-छोटी पुस्तकों के मुद्रण का भी कार्य करेगा तथा इस सम्पूर्ण कार्य से संलग्न अध्यापकों, अध्यापक करटोडियनों एवं शैक्षणिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी समय-समय पर कार्यशालायें आयोजित करके किया जायेगा ।

4—राज्य शिक्षा संस्थान

मूलतः कोठारी शिक्षा आयोग की संस्तुति के अनुसार इलाहाबाद में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 ई० में की गयी। संस्थान के पांच मुख्य कार्य हैं :—

—शोध

—प्रशिक्षण

—प्रसार

—प्रकाशन

विशेष परियोजनाएं (जनसंख्या शिक्षा/यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाएं)

संस्थान में पत्राचार, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण तथा जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी इकाईयां हैं।

2—प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है :—

अनुसंधान/अध्ययन

—पाठ्य-क्रम विकास।

—1954 ई० से पूर्व तथा इसके बाद की प्राइमरी स्तरीय पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा।

—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली के सहयोग से राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा संरचित पांच पुस्तकों के माध्यम से बी० टी० सी० स्तर के अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी कार्य पत्रकों का प्रभावी शिक्षण।

—संस्थान के क्रियाकलापों में तीन और निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये जा रहे हैं :—

—विद्यालयों में प्राइमरी स्तरीय शिक्षकों को कार्य-प्रणाली तथा विद्यालय समय से बाहर उनके अवकाश के समय के उपयोग का अध्ययन।

—कक्षा 1 से 8 तक के समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विषयक कार्यक्रम को विकसित करना।

गोष्ठियां/प्रशिक्षण

—जनसंख्या शिक्षा, यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पत्राचार प्रणाली द्वारा बी० टी० सी० के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण गोष्ठियां।

—राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त प्राइमरी/मिडिल स्तरीय शिक्षकों की गोष्ठी।

—पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावर्णीय स्वच्छता विषयक कार्यशालाएं।

प्रकाशन

—जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी सामग्री।

—कक्षा 3 के लिये विज्ञान विषयक पाठ्य-पुस्तक।

—कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन विषयक पाठ्य-पुस्तक में सम्मिलित भूगोल सम्बन्धी सामग्री।

— संस्थान समाचार तथा संस्थान विचार के विशेषांकों का प्रकाशन शिक्षा।

—शिक्षा प्रसार विभाग के सहयोग से राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा जनसंख्या शिक्षा पर फिल्म स्ट्रिप का प्रकाशन।

प्रसार

—क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं में मण्डलीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा इनके माध्यम से शिक्षा की नवीन संकल्पनाओं का प्रसार किया जाता है।

5—पाठ्य पुस्तक विभाग

पाठ्य-पुस्तक अधिकारी का कार्यालय राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन, राज्य में अभ्यास पुस्तिकाओं की उपलब्धता के अनुश्रवण, अनौपचारिक तथा जनसंख्या शिक्षा की परियोजनाओं में संबंधित प्रकाशनों एवं अन्य सामग्री के मुद्रण की व्यवस्था से सम्बन्धित है। यह अत्यधिक बढ़ा हुआ कार्यभार है जिसे इस कार्यालय का स्टाफ कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करके किसी प्रकार पूर्ण करता है। प्रकाशकों/मुद्रकों की संख्या लगभग एक हजार है।

2—उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद इस अनुभाग के कार्य को शोधात्मक दिशा प्रदान की गई है। इस समय निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है।

(1) राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य-पुस्तकों का मल्यांकन।
(2) सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों की दृष्टि से पाठ्य-पुस्तकों की विषय सामग्री का विश्लेषण।
(3) विषय सामग्री को अद्यतन करने की दृष्टि से पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण।

3--भविष्य में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य होना प्रस्तावित है :—

(1) मुद्रण की गुणवत्ता की दृष्टि से पाठ्य–पुस्तकों की समीक्षा :

(2) मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से भाषा एवं सामाजिक विज्ञान विषयक पुस्तकों की विषय सामग्री का विश्लेषण ।

(3) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत पाठ्य, पुस्तकों के प्रकाशन की प्रक्रिया की व्यापक परीक्षा तथा सुधार के लिये प्रस्ताव ।

6—हिन्दी संस्थान, वाराणसी

यह संस्थान विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण के स्तर के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं संगोष्ठियों का संचालन तथा इनसे सम्बन्धित सामग्रियों के उत्पादन में कार्यरत है । निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त यह संस्थान कुछ निर्देश पुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्य भी करता है—

योजना—हिन्दी की बोलियां और उनकी भाषायी एकता ।

प्रकाशन—'वाणी' : हिन्दी की बोलियां ।

—प्राथमिक स्तर पर वर्तनी की अशुद्धियां ।

—माध्यमिक स्तर पर वर्तनी की अशुद्धियां ।

2--वर्ष 1983-84 के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण, योजनाएं और प्रकाशन निम्नवत् हैं :—

सेवाकालीन

उच्चारण, वर्तनी, सुलेख और हिन्दी द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण, राजकीय दीक्षा विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण जुलाई, 83 से अक्तूबर, 83 और जनवरी, 1984 तक ।

—हाईस्कूल/इण्टर के अध्यापकों का इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिसम्बर, 83, फरवरी और मार्च, 84 में होगा ।

—अक्तूबर, 1983 से जनवरी, 1984 तक वाराणसी जनपद के सभी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की दूसरी योजना है ।

अनुसंधान/अध्ययन

वाक्य रचना संबंधी त्रुटियों का अध्ययन एवं उनके निराकरण के

(1) से (3) उपाय (प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर)

(4) कारक चिन्हः अशुद्धियां एवं उनका निराकरण ।

(5) उच्चारण पर हिन्दी की बोलियों के प्रभाव का अध्ययन (अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुन्देली, कनौजी कुमायुंनी और गढ़वाली) ।

प्रकाशनः—उपर्युक्त (1) से (5) और

(6) हिंदी गद्य शिक्षण—वाणी विशेषांक ।

(7) हिन्दी पद्य शिक्षण—वाणी विशेषांक ।

(8) अन्य भाषायी प्रदेश और हिन्दी

7—मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

मनोविज्ञान शाला एवं उसके मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों का मुख्य कार्य छात्रों को विषयो एवं व्यवसायों के चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श देना है । इसके अतिरिक्त मनोविज्ञानशाला अभिभावकों एवं अध्यापकों को सरल समस्यात्मक छात्रों के सम्बन्ध में निदानात्मक एवं उपचारात्मक परामर्श भी देती है । पुलिस एवं रेल विभाग के विभिन्न कर्मचारियों के चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्पादित करना एवं चयन में इन विभागों की सहायता करना भी मनोविज्ञानशाला के कार्य क्षेत्र के प्रमुख अंग हैं । मनोविज्ञानशाला में बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि एवं अभिरुचि मापन हेतु पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपलब्ध है । इन परीक्षणों में से दैनिक कार्यों में आने वाले परीक्षणों का उत्तर प्रदेश के बच्चों पर मानकीकरण भी किया जा चुका है ।

2—वर्तमान सत्र में यह संस्था राष्ट्रीय महत्व एवं उपयोगिता की निम्नांकित दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य करती रहेगी :—

(क) स्टैनफर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का उत्तर प्रदेश में बच्चों पर मानकीकरण ।

(ख) रौशा व्यक्तित्व परीक्षण पर उत्तर प्रदेश के वयस्कों की अनुक्रियाओं का अध्ययन ।

(ग) आयु वर्ग 3 से 5 एवं 5 से 9 वर्ष के बच्चों के खेल पैटर्न का अध्ययन ।

(घ) चिल्ड्रेन्स अपरसेप्सन टेस्ट (व्यक्तित्व परीक्षण) का उत्तर प्रदेश के बच्चों पर अनुशीलन ।

(च) आयु वर्ग 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिये एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण ।

3—उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्तमान सत्र में निम्नांकित नई परियोजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है :—

(1) मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रादेशिक पुस्तकालय का विकास (हिंदी व अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध) उन सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सूची तैयार की जा चुकी है जो उत्तर प्रदेश के बच्चों पर प्रयोग की जा सकती है ।

(2) अध्यापन अभिरुचि का परीक्षण/निर्माण (इसकी सामान्य रूपरेखा तैयार की जा चुकी है) ।

(3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों की व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन (इसके लिये प्रश्नावली एवं सामान्य रूपरेखा प्रपत्र तैयार है) ।

(4) बालक एवं किशोरों के नैतिक विकास प्रक्रिया पर एक शोध अध्ययन ।

(5) प्रतिभाशाली छात्रों का अनुवर्ती अध्ययन ।

(6) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों की सृजनात्मक क्षमताओं का अध्ययन ।

4—वर्तमान सत्र में इस संस्था द्वारा निम्नांकित प्रकाशन भी प्रस्तावित है :—

(1) छात्रों एवं अध्यापकों के लिये उत्तर प्रदेश में उपलब्ध मनोवैज्ञानिक सेवाएं ।

(2) उचित व्यवसायों का चयन ।

(3) छात्रों के लिये शैक्षिक निर्देशन ।

5—निर्देशन, प्रशिक्षण एवं चयन तथा अन्य कार्य जो यह इकाई सामान्यतः करती रही है उनके अतिरिक्त उपर्युक्त शोध एवं प्रकाशन कार्य भी किये जायेंगे ।

8—शिक्षा प्रसार विभाग

प्रौढ़ शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा प्रसार विभाग में उत्प्रेरक नूतन प्रयोग एवं अनुगमन कार्यक्रम, श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण केन्द्र तथा फिल्म अनुभाग की सुविधाएं उपलब्ध हैं । प्रौढ़ शिक्षा के निदेशक को यह सुझाव पहले ही दिया जा चुका है कि जो इकाई प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित है वह उनके निदेशालय द्वारा ले लिया जाय । श्रव्य दृश्य इकाई (प्रशिक्षण एवं उत्पादन) 35 एम0 एम0 तथा 16 एम0 एम0 फिल्म निर्माण प्रक्रिया की सुविधाएं शैक्षिक कार्यक्रमों (औपचारिक एवं अनोपचारिक) के गुणात्मक एवं स्तरोन्नयन के लिये बढ़ाई जा रही है ।

2—इस वर्ष शिक्षक —प्रशिक्षण में फिल्म के उपयोग की दो परियोजनाएं ली गई हैं । फिल्म निर्माण संबंधी निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित है :—

(1) शहीदों की स्मृति में

(2) विज्ञान एवं शिक्षा

(3) विभागीय कार्य-कलाप (शिक्षा—सुधार आधारित)

3—श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा इलाहाबाद जनपद में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध श्रव्य दृश्य उपकरणों के प्रयोग का एक सर्वेक्षण अभीष्ट होगा । केन्द्र द्वारा अध्यापकों हेतु एक श्रव्य दृश्य उपकरण पर संदर्शिका भी तैयार की जायगी ।

4—सचल फिल्म—वाहनों द्वारा लखनऊ तथा इलाहाबाद में मासिक फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । यही कार्यक्रम कुछ अन्य जनपद—मुख्यालयों में आयोजित किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा में उत्प्रेरणा तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्यों के विकास हेतु, जिसके लिये फिल्म-लाइब्रेरी में अनेकानेक फिल्में उपलब्ध हैं, इन वाहनों का प्रयोग निरन्तर ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म प्रदर्शन किये जा रहे हैं । लाइब्रेरी के सदस्यों की सदस्यता बढ़ाने हेतु तथा विद्यालयों/शिक्षक प्रशिक्षण के फिल्म—स्ट्रिप के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान चलाने की योजना प्रस्तावित है ।

5—यह इकाई शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम में भी, जो शीघ्र ही विकसित होनी है, सहायक सिद्ध होगी ।

6—निम्नांकित ग्रामीण-पत्रिकाओं का विशेषांक प्रकाशित होना है ।

(1) सब के लिये शिक्षा ।

(2) बीस—सूत्री कार्यक्रम—1 से 10

(3) बीस सूत्री कार्यक्रम—11 से 20

(4) उत्तर प्रदेश

(5) राष्ट्रीय एकता

उल्लिखित अंक ग्रामीण-शिक्षकों, प्रौढ़ों तथा विद्यार्थियों के लिये सूचना-मूलक एवं लाभप्रद सिद्ध होंगे ।

7--- ग्रामीण पुस्तकालयों के लिये निम्नलिखित पुस्तकों का लेखन तथा मुद्रण वितरण हेतु किया जा रहा है:---

(1) देश के गीत (समूह-गान-राष्ट्रीय एकता हेतु)।

(2) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण शिल्प

(3) अपना देश

(4) लोक कथाएं एवं लोक-गीत ।

9--राजकीय सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

यह संस्थान सामान्य एल0 टी0 का पूर्व सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है, साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये सतत् शिक्षा कार्यक्रम, पुनर्बोधात्मक कार्यक्रम चलाता है तथा हाई स्कल स्तर के छात्रों के लिये उपचारात्मक कक्षायें भी चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा इस संस्थान में कुछ शैक्षिक मूल्यों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त वर्ष 1983-84 में निम्नांकित परियोजनाओं, शोध अध्ययनों, गोष्ठियों तथा प्रकाशनों के कार्य भी लिए जाने हैं।

(क) सेमिनार/कार्यशालायें

(1) 30 मई से 4 जून, 1983 तक-एल0 टी0 के नये पाठ्यक्रम में अध्यापक का पुनर्बोधात्मक सेमिनार ।

(2) 6 जुलाई से 15 जुलाई, 1983 तक-राष्ट्रीय एकता प्रशिक्षण के अन्तर्गत सामुदायिक गायन कोर्स (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0)।

(3) 23 जुलाई से 24 जुलाई, 1983 तक-राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-एक के शोध प्रकोष्ठ के तत्वावधान में अध्यापकों की विचार गोष्ठी।

(4) 21 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1983 तक-फालोअप सेमिनार "कामेट" के सहयोग से-ब्रिटिश कौन्सिल द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों का कार्यक्रम ।

(5) 5 अक्तूबर, से 14 अक्तूबर, 1983 तक समन्वित विज्ञान शिक्षण की कार्यशाला (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0) ।

(6) अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में-एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के स्टाफ के लिये-शोध पद्धति में प्रशिक्षण कोर्स ।

(7) नवम्बर से दिसम्बर, 1983 तक-इलाहाबाद के हाई स्कूल के अध्यापकों के लिये सामाजिक विषय में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।

(8) 5 से 7 दिसम्बर, 1983 तक-बी0 एड0/एल0 टी0 कालेजों के अध्यापकों का सेकेन्डरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उत्थान हेतु सेमिनार ।

(9) जनवरी, 1984-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिये उपचारात्मक शिक्षण पर प्रशिक्षण गोष्ठी ।

(ख) शैक्षिक परियोजनायें---

अ---उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु-सर्वेक्षण एवं सुझाव ।

ब---उत्तर प्रदेश में परीक्षा सुधार-सर्वेक्षण एवं सुझाव ।

स---मूल्यों के लिये शिक्षा-अध्यापकों के लिये प्रारम्भिक पुस्तिका ।

द---अध्यापक-प्रशिक्षण में फिल्मों का प्रयोग ।

(ग) शोध ।

1---उत्तर प्रदेश में बालिकाओं हेतु सुविधाएं (पाइलट प्रोजेक्ट)

द्वितीय चक्र

2---हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाफल का एक अध्ययन-जिससे कम परीक्षा फल के उत्तरदायी घटकों को ज्ञात किया जा सके ।

3---माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमीय भार का अध्ययन (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0)

4---प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल स्तर पर गणित एवं हिन्दी में निदान सूचक परीक्षणों की रचना।

5---जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा के प्रशासन का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

10——अनौपचारिक शिक्षा इकाई

वय-वर्ग 9–14 के लिये अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण-सामग्री तैयार किये जाने हेतु अनौपचारिक इकाई (एस0 आई0 ई0) की स्थापना 1981 में की गई थी। इसके द्वारा सत्र 1982-83 के लिये निम्नवत् सामग्री तैयार की गयी :—

(1) प्रारम्भिक पुस्तिका (मुद्रित)।

(2) प्राथमिक स्तर के लिये पाठ्य-पुस्तकें (मुद्रित) ज्ञानदीप भाग 1, 2 तथा 3।

(3) पाठ्य-क्रम।

इस वर्ष मध्य वय स्तर (11–14 वय वर्ग) के लिये पाठ्य-पुस्तकों को अंतिम स्वरूप दे कर मुद्रित कराया जा रहा है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य-पुस्तकों का सितम्बर–अक्तूबर, 1983 में कार्यशालाओं में संशोधन कराया गया है। दिसम्बर, 1983 तक सामाजिक एवं मानवीय मूल्य सम्बन्धी विषयों पर सचित्र पुस्तकों का प्रारूप भी बना लिया गया। इसी दौरान प्रशिक्षण सामग्री के मूल्यांकन उपकरणों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन एवं योजना के मूल्यांकन का प्रारूप भी निर्धारित किया गया।

2——उपर्युक्त प्रेरक सामग्री समाचार-पत्रों एवं रेडियो इत्यादि के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। पोस्टर एवं फ्लैश कार्ड शीघ्र मुद्रित कराये जा रहे हैं।

3——सामग्री को विकसित करने हेतु एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 की सहायता ली गई है। यह उल्लेखनीय है कि यह राज्य इस कार्य में अग्रणी रहा है।

National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
NIEPA ... 110016
... 1238
Date 10/7/84

NIEPA DC
D01238

पी0 एस0 यू0 पी0——ए0 पी0 47 शिक्षा–6–2–84–(3825)–1984–1,500 (प्रो0)।